न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 130/2017/75 एलआर एक्ट

1. ओमप्रकाश पुत्र आदराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. भादर पुत्र आदराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. दलीपसिंह पुत्र आदराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

–अपीलान्ट

–: बनाम :–

1. रामस्वरूप पुत्र आदराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।
3. महेन्द्र पुत्र आदराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. शांति पत्नि स्व. सन्तराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. भुपसिंह पुत्र स्व. सन्तराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 03.05.2017 न्यायालय उपखण्डाधिकारी भादरा
प्रकरण सं0 15/14 अनवानी ओमप्रकाश आदि बनाम रामस्वरूप आदि

उपस्थित :–
श्री लोकेश शर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री देवीलाल भांभू अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1, 4 व 5
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2

निर्णय दिनांक –29.01.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत शर्त 8(2) कोलो0 एक्ट सामान्य शर्त के तहत प्रस्तुत कर रास्ता की आवश्यकता प्रकट करते हुए रास्ता स्वीकृत करने हेतु अनुतोष चाहा गया जिसमे रेस्पो0/अप्रार्थीगण जवाब प्रार्थना पत्र मय काउंटर क्लेम पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए प्रार्थना पत्र अपीलांट खारिज करते हुए कांउटर क्लेम रेस्पो/अप्रार्थी स्वीकार किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष रास्ता स्वीकृति बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर अप्रार्थी सं. 1, 4 व 5 द्वारा

काउंटर क्लेम मय जवाब प्रस्तुत किया था जिसमे अपीलाधीन निर्णय मे वर्णित रास्ता स्वीकृत किये जाने की मांग की गई थी। तत्पश्चात पक्षकारान का राजीनामा हो जाने से राजीनामा न्यायालय भादरा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया था। इस राजीनामा के बाद इस राजीनामा का खण्डन राजीनामाकर्ता द्वारा नही किया गया था। इस राजीनामा के मुताबिक मु.न. 23 के कि.न. 16 व 25 एवं मु.न. 24 के कि.न. 11 ता 15, मुन. 25 के कि. न. 11 ता 13 बाबत भी सहमति थी। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त राजीनामा बाबत अपने निर्णय मे कोई विवेचन ही नही किया एवं खाता विभाजन के वाद के समय उसके साथ तैयार करदा नक्शा जिसमे प्रार्थीगण/अपीलांट द्वारा जिस प्रस्तावित रास्ते पर सहमति बनी थी एवं जो चालू था उसे रेस्पो0 सं. 1 ने साजबाज कर वाईटनर से मिटाकर उसके नीचे किला मे जो अपीलाधीन निर्णय के द्वारा रास्ता स्वीकृत किया है वहा पर दर्शा दिया जिसके विरूद्ध अपीलांट ने फौजदारी कार्यवाही भी कर रखी है जबकि विचारण न्यायालय द्वारा 8(2) उपनिवेशन अधिनियम के तहत पक्षकारान की कृषि भूमि हेतु रास्ता स्वीकृत करने हेतु अधिकृत नही है। इसलिए उक्त आधार पर अपीलाधीन निर्णय काबिले निरस्ती है। अपीलाधीन निर्णय के द्वारा जो रास्त स्वीकृत किया है वह किसी प्रकार से सही नही है क्योंकि महेन्द्र रेस्पो0 स. 3 की मु.न. 24 के कि.न.18 मे ढाणी है एवं ढाणी के पश्चिमी साईड मे जगह बिल्कूल कम है एवं पूर्वी तरफ कुण्ड व कुंआ बना हुआ है।

4. विचारण न्यायालय का यह नैतिक कृर्तव्य बनता था कि चूंकि अब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के अन्तर्गत रास्ता स्वीकृति बाबत प्रावधान प्रभावी किये गये है जो उसी के मध्यनजर पक्षकारान के आवेदन पत्र 251ए के प्रावधानो के अन्तर्गत मानते हुये ही निस्तारित किये जाने चाहिए थे। विचारण न्यायालय द्वारा अप्रार्थी का कांउटर क्लेम उपनिवेशन अधिनियम की धारा 8(2) के तहत कोई आदेश पारित करने हेतु सक्षम नही थे। अपीलांट द्वारा चाहे जा रहे रास्ता से रेस्पो. सं. 4 व 5 को भी कोई क्षति नही है क्योंकि इनके भूमि मु.न. 25 कि.न. 11 ता 15, मु.न. 26 कि.न. 11,12,13 मे भी है एवं मु.न. 25 कि.न. 16 ता 20 व मु.न. 26 कि.न. 18, 19, 20 मे भी है। इसलिए उक्त

दोनो मे से किसी मे भी रास्ता स्वीकृत करने से रेस्पो0 सं. 4 व 5 को भी कोई क्षति नही है। इसलिए आपसी भाईचारा एवं प्रेम हेतु किसी पक्षकार को क्षति ना पहुंचे इस दृष्टि से अपीलांट द्वारा चाहे जा रहे रास्ता को स्वीकृत किया जाना न्यायसंगत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर अपीलांट/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र बाबत स्वीकृति रास्ता स्वीकार किया जावें।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपनी खातेदारी भूमि मे आवागमन हेतु रास्ता की आवश्यकता प्रकट करते हुए रास्ता स्वीकृति बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमे रेस्पो0 द्वारा जवाब मय काउंटर क्लेम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा काउंटर क्लेम प्रार्थना पत्र के आधार पर रास्ता स्वीकृत किये जाने अनुतोष चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार भादरा को मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौका कमिश्नर की रिपोर्ट के आधार पर काउंटर क्लेम मे वर्णित रास्ता को सही मानते हुए प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत कर कांउटर क्लेम स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र अपीलांट/प्रार्थीगण खारिज किया गया जो सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

6. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्ते 1955 8 (2) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए प्रस्तुत जवाब मय कांउटर क्लेम प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता स्वीकृत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रास्ता हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तिथि को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए प्रचलन मे थी। उपनिवेशन क्षेत्र की भूमि से भिन्न खातेदारी भूमियों के लिए रास्ता हेतु वर्ष 2012 मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए मे खातेदारो को अपनी भूमि पर पहुंच हेतु अन्य खातेदार की भूमि मे से रास्ता दिये जाने के प्रावधान किये गये है जो वर्तमान मे प्रचलित एवं प्रभावी है। इसलिए प्रकरण मे राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए एवं इसके अन्तर्गत निर्मित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानो के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए रास्ता संबंधी निर्णय पारित किया जाना आपेक्षित है। हस्तगत प्रकरण मे रास्ता की भूमि राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्ते 1955 शर्त 8(2) के प्रावधानो के अन्तर्गत शामिल एवं प्रभावित नही होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अविधिपूर्ण आदेश पारित किया गया है जिसकी पुष्टि किया जाना उचित नही होने के कारण अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.05.2017 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों के अनुसार भू–अभिलेख निरीक्षक या उससे उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण कर रास्ता स्वीकृति के संबंध मे मौका रिर्पोट प्राप्त करने के उपरांत रास्ता स्वीकृति हेतु मुआवजा संबंधी निर्धारण करते हुए नियमानुसार रास्ता के आवेदन का निस्तारण करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 28.02.2018 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़